इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 134] भोपाल, मंगलवार, दिनांक 29 मार्च 2011—चैत्र 8, शक 1933

गृह (सी-अनुभाग) विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 29 मार्च 2011

क्र. एफ 35-110-2005-सी-1.—चूंकि, राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि लोक हित में यह आवश्यक तथा समीचीन है कि नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट की गई अत्यावश्यक सेवा में कार्य करने से इन्कार किया जाने का प्रतिषेध किया जाये.

2. अतएव, मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (क्रमांक 10 सन् 1979) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, दर्शायी अनुसूची में विनिर्दिष्ट अत्यावश्यक सेवा में कार्य करने से इन्कार किये जाने की तारीख 29 मार्च, 2011 से तीन माह की अवधि के लिए प्रतिषेध करती है.

अनुसूची

''मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल एवं उसकी उत्तरवर्ती कम्पनियों के अंतर्गत विद्युत के उत्पादन, पारेषण तथा वितरण से संबंधित वैज्ञानिक, तकनीकी, कार्यपालिक, प्रवर्ती (आपरेटिव) तथा अनुसचिवीय व्यक्तियों की सेवाएं.''

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सीमा शर्मा, सचिव.

भोपाल, दिनांक 29 मार्च 2011

क्र. एफ 35-110-2005-सी-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 29 मार्च, 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सीमा शर्मा, सचिव.

Bhopal, the 29th March 2011

F. No. 35-110-2005-11-C-1.—Whereas, the State Government is satisfied that it is necessary and expedient in the public interest to prohibit refusal to work in the essential services specified in the Schedule below.

2. Now, Therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 4 of the Madhya Pradesh Atyavashyak Sewa Sandharan Tatha Vichchinnata Nivaran Adhiniyam, 1979 (No. 10 of 1979) the State Government hereby prohibits refusal to work in the essential service specified in the Schedule with effect from 29th March, 2011 for a period of three months.

SCHEDULE

"Services of Scientific, technical, operative and ministerial personnel connected with electricity generation, transmission and distribution of electricity by or under the Madhya Pradesh State Electricity Board and its successor companies."

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
SEEMA SHARMA, Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.